





GAIL (India) Limited
(A Govt. of India Undertaking)

जहां भी जाए स्वच्छ ऊर्जा ईंधन विकास लाए



30 सितम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के (अनअंकेक्षित) एकल वित्तीय परिणाम का सार

(₹ करोड़ में ईपीएस छोड़कर)

क्र. स.	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष
		30 सितम्बर, 2018 (अनअंकेक्षित)	30 सितम्बर, 2017 (अनअंकेक्षित)	30 सितम्बर, 2018 (अनअंकेक्षित)	30 सितम्बर, 2017 (अनअंकेक्षित)	31 मार्च, 2018 (अंकेक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	19,275.32	12,409.65	36,573.91	23,980.46	53,825.49
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/ अथवा असाधारण मदों के पूर्व)	2,897.17	1,927.28	4,837.42	3,496.01	6,930.68
3.	अवधि के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/ अथवा असाधारण मदों के पश्चात्)	2,897.17	1,927.28	4,837.42	3,496.01	6,958.37
4.	अवधि के लिए कर पश्चात् शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/ अथवा असाधारण मदों के पश्चात्)	1,962.96	1,309.63	3,222.21	2,335.27	4,618.41
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय/(हानि) [इसमें अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर पश्चात्) एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्) शामिल हैं]	2,593.65	1,732.52	3,181.33	1,904.78	4,281.78
6.	इक्विटी शेयर पूँजी (अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक)	2,255.07	1,691.30	2,255.07	1,691.30	2,255.07
7.	तुलन पत्र के अनुसार आरक्षित (पुनर् मूल्यांकन आरक्षित छोड़कर)	-	-	-	-	32,947.18
8.	अर्जन प्रति शेयर (₹10/- प्रत्येक)*					
	1. मूलभूत (₹)	8.70	5.81	14.29	10.36	20.48
	2. डाइल्यूटेड (₹)	8.70	5.81	14.29	10.36	20.48
	(तिमाही व छमाही के लिए ईपीएस वार्षिकी नहीं)					

टिप्पणी:

- उपरोक्त विवरण, सेबी (सूचीकरण और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल, 30 सितम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही/छमाही अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। इन वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों वेबसाइट www.nseindia.com एवं www.bseindia.com तथा कम्पनी के वेबसाइट www.gailonline.com पर उपलब्ध है।
- * मार्च 2018 के दौरान आयोजित, प्रत्येक तीन शेयरों को अनुपात में एक इक्विटी शेयर के बोनस जारी करने के कारण इण्ड एएस 33 के अनुसार 30 सितम्बर, 2017 को समाप्त तिमाही व छमाही के लिए अर्जन प्रति शेयर को दोहराया गया है।
- उपरोक्त परिणाम कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित कम्पनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 (इण्ड एएस) के अनुसार है जो भारत में आम तौर से सम्बंधित नियमों और अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार है।
- वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप, पिछली अवधि के आंकड़े, जहां भी आवश्यक हो, पुनः सामूहिक किये गये हैं।